सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 93/2018

1. अमन उम्र 5 वर्ष
2. अर्पित उम्र 11 वर्ष पुत्रान मूलचंद जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां नाबा0 की जर्ये वलि माता खुद ममता
3. ममता पत्नि मूलचंद उम्र 26 वर्ष जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मूलचंद पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 07.08.2018

निर्णय दिनांक : 08.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पिता एवं पति के खाते की पु तैनी आराजी ग्राम शाहपुरा में खाता संख्या 165 खसरा नं0 339 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 515 रकबा 5.07 है0, खसरा नं0 519/850 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 रकबा 5.95 है0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जो कि प्रतिवादी कम 1 को वादीगण के दादा व ससुर बद्रीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत से प्राप्त सम्पत्ति में वारिसों का बराबर हक होता है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 की संतान व पत्नि होने से प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिस है। जिनका की प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि ग्राम शाहपुरा की खाता संख्या 165 किता 3 रकबा 5.95 है0 में बराबर हक व हिस्सा बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिस होने के नाते उक्त वर्णित आराजी में 3/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि पुश्तैनी आराजी ग्राम शाहपुरा में खाता संख्या 165 खसरा नं0 339 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 515 रकबा 5.07 है0, खसरा नं0 519/850 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 रकबा 5.95 है0 में वादीगण को प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4–1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करें।

... वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया ... हकबालिया जवाब व

ना प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1, वादी गण 1 ता 3 प्रत्येक को ग्राम
पुरा में खाता संख्या 165 खसरा नं0 339 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 515 रकबा 5.07 है0, खसरा नं0
19/850 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 रकबा 5.95 है0 में हिस्सा 1/4–1/4–1/4 का खातेदार घोषित
किये जाने में पूर्णतः सहमत है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादीगण अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव
की बहस सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जो उन्होने
अपने वाद पत्र में अंकन किया है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा
प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजीनामा पत्र के प्रकाश में न्यायालय इस निर्णय पहुचा है कि ग्राम
शाहपुरा में खाता संख्या 165 खसरा नं0 339 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 515 रकबा 5.07 है0, खसरा नं0
519/850 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 रकबा 5.95 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत से प्राप्त हुई
है एवं वादीगण क्रम 1 ता 3, प्रतिवादी क्रम 1 के कानूनी वारिस है अतः वादीगण क्रम 1 ता 3 प्रत्येक का
उक्त वर्णित आराजी में हिस्सा 1/4–1/4–1/4 निहित है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम
शाहपुरा में खाता संख्या 165 खसरा नं0 339 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 515 रकबा 5.07 है0, खसरा नं0
519/850 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 रकबा 5.95 है0 में वादीगण को हिस्सा 1/4–1/4–1/4 का
खातेदार घोषित किया जाता है एवं तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने
के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सु